राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 823/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
मंगल सिंह सैनी 99, माडल टाउन कॉलोनी, सेन्ट विल्फ्रेड कॉलेज के सामने न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर,, Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 19/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री आलोक पी सैनी, उप निदेशक उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 31-05-2017 के द्वारा बाड़मेर के पंचपदरा में पैट्रोलियम रिफाईनरी के लिए एच.पी.सी.एल. के साथ वर्ष 2013 में हुए एमओयू एवं वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार के एमओयू एवं कन्सल्टेन्ट की रिपोर्ट के बाबत 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 10-11-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के द्वारा वांछित सूचना का विनिश्चय पत्र दिनांक 29-06-2017 से प्रेषित किया गया है। वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से संबंधित है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(डी) के तहत अदेय है। अपीलार्थी ने आवेदन प्रमुख शासन सचिव, पैट्रोलियम शासन सचिवालय, जयपुर को किया था जो पत्र दिनांक 21-06-2017 से निदेशक पैट्रोलियम विभाग को प्रेषित किया गया जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की गई थी। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील पेश करने पर निर्णय दिनांक 10-11-2017 से राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय दिनांक 29-06-2017 को उचित माना जाकर प्रथम अपील खारिज की गई है। प्रत्यर्थी ने यह भी बताया कि इसी विषय से संबंधित सूचना श्री महेश गहलोत के द्वारा भी चाही गई थी तथा आयोग में अपील संख्या 1714/2018 दर्ज हुई जिसमें निर्णय दिनांक 09-04-2018 से वांछित सूचना को गोपनीय व तृतीय पक्षकार से

संबंधित माना जाकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(डी) के तहत अदेय माना जाकर अपील खारिज की गई है तथा यह भी बताया कि अपीलार्थी के द्वारा सूचना एमओयू के संबंध में चाही है। एमओयू होने के बाद लोकहित में उजागर करने योग्य जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से जारी की जा चुकी है तथा अन्य सूचनाऐं उजागर योग्य नहीं है उनको दिया जाना जनहित व राज्यहित में नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 12-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 29-06-2017, प्रथम अपील निर्णय दिनांक 10-11-2017 एवं पत्र दिनांक 21-06-2017 की प्रति संलग्न की गई है। अतिरिक्त अपीलोत्तर दिनांक 19-04-2018 को प्रस्तुत किया है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। प्रत्यर्थी का विनिश्चय दिनांक 29-06-2017 एवं प्रथम अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 10-11-2017 विधि अनुसार है। प्रत्यर्थी ने वांछित सूचना के संबंध में प्रेस नोट जारी करना बताया है अतः प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है निर्णय प्राप्त होने के 21 दिवस में पूर्व में सूचना के संबंध में जारी प्रेस नोट की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जावे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त